संoसंo–1/आईo–01–15/2008(खण्ड–1)– 78(1) वि०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–27/12/2018

विषयः– **इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को स्थापना व्यय के वहन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में उपबंधित सहायक अनुदान–वेतन की राशि रु० 200,00,00,000/–(रुपये दो सौ करोड़) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1447(1) दिनांक–27/12/2018 के आलोक में इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, विपत्र कोड–20–2210051050017, के स्थापना व्यय के वहन हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय से वित्तीय वर्ष 2018–19 में रु० 200,00,00,000/–(रुपये दो सौ करोड़) मात्र के सहायक अनुदान–वेतन की राशि का आवंटन दी जाती है।

(2) यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.1998, 2880/वि0(2), दिनांक–06.05.2006, 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.2008, 3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 एवं 4443/वि0, दिनांक–14.06.2018 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

(3) इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना एक स्वशासी संस्थान है, अतएव इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

(4) इस राशि के व्यय का वहन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0017–इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, विपत्र कोड–20–2210051050017 के अन्तर्गत इस निमित्त विषय शीर्ष कोड 0017.31.04 सहायक अनुदान–वेतन अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(5) अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PLA319 विपत्र कोड–K-8448001200068 में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे और उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराएँगे।

क्रमशः

(6) इसमें महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

(7) इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

(8) इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–1/आई०–01–15/2008(खण्ड–1)–78(1)/070 /स्वा0, पटना, दिनांक–27/12/2018

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना /महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव–सह–आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

सं0सं0–1/आई०–01–15/2008(खण्ड–1)– 1447 (1)

बिहार सरकार

<u>स्वास्थ्य विभाग</u>

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*द्वारा:– वित्त विभाग।

*अनौपचारिक रुप से परामर्शित

पटना, दिनांक– 27/12 /2018

विषयः– **इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को स्थापना व्यय के वहन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में उपबंधित सहायक अनुदान–वेतन की राशि रु० 200,00,00,000/–(रुपये दो सौ करोड़) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना की स्थापना राज्य में अतिविशिष्ट विषयों में उच्च स्तर की चिकित्सा सेवाओं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सतत शिक्षा के विकास करने एवं चिकित्सा शास्त्र विषयों के क्षेत्र में सेवा, अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के निमित्त बिहार अधिनियम संख्या 10,1984 द्वारा की गई थी। सरकार द्वारा संस्थान में सस्ते दर पर बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना के स्थापना व्यय का वहन करने हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय से सहायक अनुदान देने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। संस्थान में कई चिकित्सकों को नियुक्त किया गया है, मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज खोला गया है और इसमें पढ़ाई भी प्रारंभ हो गई है। पूर्व वर्षों की भाँति इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को स्थापना व्यय के वहन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में रु0 200,00,00,000/–(रुपये दो सौ करोड़) मात्र का सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

(2) यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.1998, 2880/वि0(2), दिनांक–06.05.2006, 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.2008, 3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 एवं 4443/वि0, दिनांक–14.06.2018 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

(3) इस राशि के व्यय का वहन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0017–इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, विपत्र कोड–20–2210051050017 के अन्तर्गत इस निमित्त विषय शीर्ष कोड 0017.31.04 सहायक अनुदान–वेतन अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(4) वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में संस्थान के निदेशक गत वित्तीय वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन तीन महीने में पूर्ण कराकर विभाग के माध्यम से महालेखाकार को भेज देंगे।

(5) इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना एक स्वशासी संस्थान है, अतएव इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

<u>क्रमशः</u>

(6) अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PLA319 विपत्र कोड–K-8448001200068 में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे और उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराएँगे।

(7) इसमें महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

(8) इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

(9) राज्यादेश में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–1/आई०–01–15/2008(खण्ड–1)– 1447(1)/स्वा0, पटना, दिनांक–27/12/2018

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव–सह–आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः–निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव